तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री श्योदयाल पुत्र श्री नानुराम महला निवासी वार्ड नं. 11 ढाणी बावड़ी आभावास तह. खण्डेला सीकर मैसर्स श्रीबालाजी मावा भण्डार वार्ड नं. 11 ढाणी बावड़ी आभावास तह. खण्डेला सीकर की ओर से एडवोकेट श्री मनीराम जाखड़ उपस्थित हुये। वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 09.03.2019 को समय 12:40 पी.एम. पर खण्डेला सीकर, में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स श्रीबालाजी मावा भण्डार, में अप्रार्थी श्री श्योदयाल खौआ का विक्रय कर रहा था। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनके नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया। श्योदयाल महला से वर्ष 2019 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2019 होना बताया व दिखाया।

फर्म पर श्री श्योदयाल द्वारा खौआ का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध खौआ के 20 किग्रा स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 1 कि.ग्रा. खौआ खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री भवानी सिंह को 220रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जूर्माना लगाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी व वकील अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–1421 खाद्य पदार्थ खौआ का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ खौआ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लघंन पाया गया। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 41,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जू[illegible] पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवा[illegible] जायेगी। आदेश आज दिनांक 25.1[illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम[illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:01:17 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं नीमकाथाना सीकर

Scanned with OKEN Scanner